

सेवा में,

श्रीमान् अंचलाधिकारी

कोडरमा अंचल ।

विषय :- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के संबंध में ।

महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं ता. लक्ष्मीपुर सि. व. शशीकान्त सि. व.

ग्राम अशनाकाट पो. मुमरी तिलैया थाना तिरैया

जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा अशना
2. थाना तिरैया
3. थाना न० २५८
4. खाता न० १०५
5. प्लॉट न० २१९९
6. रकबा २ बी०
7. भूमि का किस्म शेखरी
8. अधतन रसिद न० ००६५०७९९०९ दिनांक २५/५/२०२१
9. दा० खारिज वाद संख्या ५६९५/२०२०-२१

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा ।

विश्वासभाजन

ता. लक्ष्मीपुर सि. व. शशीकान्त सि. व.

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।
भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या :- 350 / 2022


02.12.2022

आवेदक श्री तारकेश्वर सिंह पिता स्व० अदालत सिंह वो शशिकान्त सिंह पिता स्व० विजय सिंह, साकिन-असना, पोस्ट-झुमरी तिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
असना	245	104	2199	02 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करे।

अभिलेख दिनांक 13 / 12 / 2022 को प्रस्तुत करें।


अंचल अधिकारी,
कोडरमा


13.12.2022

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-असना, थाना नं०-245 खाता सं०-104, प्लॉट सं०-2199, रकवा 02 डी० भूमि श्री तारकेश्वर सिंह पिता अदालत सिंह वो विजय सिंह पिता पशुपति नाथ सिंह के नाम से पंजी-II के पृष्ठ सं०-16 भाग सं०-28 पर ऑनलाइन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा० खा० वाद सं०-5685/2020-21 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-7018 दिनांक-13.08.1985 द्वारा प्राप्त है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2021-22 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं०-07 दिनांक-02.12.2022 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा-असना, थाना नं०-245 खाता सं०-104, प्लॉट सं०-2199, रकवा 02 डी० भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-असना, थाना नं०-245 खाता सं०-104, प्लॉट सं०-2199, रकवा 02 डी० निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामांतरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।


अंचल अधिकारी,
कोडरमा